न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 37/2011

1 रामेश्वरी स्त्री मूलचन्द।
2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द।
3 विजय कुमार पुत्र मूलचन्द।
4 कुमारी प्रेम पुत्री मूलचन्द समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण चक जोधपुरा हाल निवासीगण सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी चक जोधपुरा हाल निवासी सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 बोदु पुत्र जोधा।
3 बाबुलाल पुत्र धोलू।
4 धूड़ाराम पुत्र धोलू।
5 लक्ष्मणराम पुत्र धोलू।
6 माली देवी स्त्री धोलू समस्त जाति माली निवासीगण उग्रसिंह की ढ़ाणी तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 जीवनी स्त्री खाजू खां।
8 हनीफ पुत्र खाजू खां।
9 लाल मोहम्मद पुत्र खाजू खां।
10 बशीर पुत्र खाजू खां।
11 जरीना पुत्री खाजू खां।
12 रहीना पुत्री खाजू खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 राजस्थान शेखावाटी बैंक शाखा मणकसास जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार जिला झुंझुनू कम उप पंजियक उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2011 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा रामेश्वरी वगैरह बनाम महेन्द्र कुमार वगैरह मु. नं. 131/2009 दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 06.08.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 131/2009 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के न्यायालय मे एक दावा इस आशय का पेश किया कि अपीलांट नम्बर 1 के पति एवं अपीलांट नम्बर 2 से 4 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता मूलचन्द ने जमीन गत खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 891 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन में से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 के पूर्वज जोधा से उसके 1/2 हक हिस्सा की जमीन 6500/– रूपये के प्रतिफल के बदले कब्जे सहित क्रय की थी। उक्त जमीन के हाल खसरा नम्बर 573,574,575 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर बने है। क्रय शुद्वा जमीन का उक्त मूलचन्द भोला एवं अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नही करवा सका बल्कि क्रय शुद्वा जमीन पर कब्जा बरकरार है। उक्त जमीन इस कारण प्रतिवादीगण नम्बर 2 से 6 के नाम गलत रूप से दर्ज है जो उनके नाम से हटाई जाकर विक्रय पत्र दिनांकित 04.10.1979 के मुताबिक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 के नाम दर्ज की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे उक्त आशय के वाद पत्र को अदालत मातहत ने दिनांक 15.03.2011 को खारिज कर दिया। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने मे वाद पत्र की प्लीडिंग एवं उसके साथ पेश किये गये दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया। अदालत मातहत ने अपीलांट नम्बर 1 के पति एवं अपीलांट नम्बर 2 से 4 तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पिता मूलचन्द के हक मे हुये विक्रय पत्र दिनांकित 04.10.1979 को सही माना है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय जैर बहस में यह भी नही माना है कि अपीलांट का क्रय शुद्वा जमीन पर कब्जा काश्त नही है। रेस्पोडेंट नम्बर 2 से 6 की और से अदालत मातहत के समक्ष कोई उपस्थित अथवा जवाब देही एंव ऐतराज प्रकट नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट का दावा खारिज करने के दो आधार लिये है। प्रथम तो कि अपीलांट ने ग्राम पंचायत/राजस्व अधिकारी को उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण बाबत कोई आवेदन नही किया तथा दूसरा कि विवादित जमीन वर्तमान में बैंक के रहन है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अशिक्षित व्यक्ति है। क्रय के तुरन्त बाद उनका पूर्वज अशिक्षित होने के कारण अपने हक में क्रयशुद्वा जमीन का इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत चारा जोही की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

थी तथा पटवारी हल्का के आश्वासन पर उक्त मुलचन्द ने सोचा कि उसके नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया। अपीलांट लगातार विवादित जमीन पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विवादित जमीन के कब्जा काश्त बाबत कभी झगड़ा व मनमुटाव नही हुआ इस कारण अपीलांट को भी राजस्व रिकार्ड देखने की जरूरत नही पड़ी। अपीलांट ने ग्राम पंचायत व तहसीलदार के समक्ष अपने हक में नामान्तकरण बाबत चाराजोही की थी लेकिन उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा पेश कर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी थी इस कारण अपीलांट्स ने अदालत मातहत के समक्ष दावा पेश किया था। अपीलांट का वाद भंली भांति साबित है। अत अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1979 के अनुसार वादीगण के पूर्वज स्व. मूलचन्द ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पूर्वज जोधाराम से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 891 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता में से 1/2 हिस्सा क्रय किया जाना साबित है। विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890,891 वाके ग्राम चक जोधपुरा हाल सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी के हाल खसरा नम्बर 573,574,575 में क्रय शुद्वा भूमि हिस्सा 1/2 रकबा 0.72 हैक्टेयर के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 खातेदारी की उदघोषणा विक्रय पत्र के आधार पर करवाने के अधिकारी पाये जाते है।

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की और से वाद कथन का खण्डन नही किया गया है। वादी ने सशपथ भूमि क्रय करना एवं क्रय शुद्वा भूमि पर काबिज होने का कथन किया है। पत्रावली पर इसका खण्डन नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या 1 से 4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 को विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1979 के अनुसार वादीगण के पूर्वज स्व. मूलचन्द ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पूर्वज जोधाराम से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 891 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता में से 1/2 हिस्सा क्रय किया जाना साबित होने से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890,891 वाके ग्राम चक जोधपुरा हाल सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी के हाल खसरा नम्बर 573,574,575 में क्रय शुद्वा भूमि हिस्सा 1/2 रकबा 0.72 हैक्टेयर में बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस

1 रामेश्वरी स्त्री मूलचन्द।
2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द।
3 विजय कुमार पुत्र मूलचन्द।
4 कुमारी प्रेम पुत्री मूलचन्द समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण चक जोधपुरा हाल निवासीगण सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति मेघवंशी निवासी चक जोधपुरा हाल निवासी सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 बोदु पुत्र जोधा।
3 बाबुलाल पुत्र धोलू।
4 धूड़ाराम पुत्र धोलू।
5 लक्ष्मणराम पुत्र धोलू।
6 माली देवी स्त्री धोलू समस्त जाति माली निवासीगण उग्रसिंह की ढ़ाणी तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 जीवनी स्त्री खाजू खां।
8 हनीफ पुत्र खाजू खां।
9 लाल मोहम्मद पुत्र खाजू खां।
10 बशीर पुत्र खाजू खां।
11 जरीना पुत्री खाजू खां।
12 रहीना पुत्री खाजू खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान शेखावाटी बैंक शाखा मणकसास जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार जिला झुंझुनू कम उप पंजियक उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नियमित अपील संख्या 37/2011 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 131/2009 उनवानी रामेश्वरी बनाम महेन्द्र वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस. बहाजरी श्री राजेश पूनियां वास्ते अपीलार्थीगण।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या 1 से 4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 को विक्रय पत्र दिनांक 04.10.1979 के अनुसार वादीगण के पूर्वज स्व. मूलचन्द ने जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के पूर्वज जोधाराम से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 891 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता में से 1/2 हिस्सा क्रय किया जाना साबित होने से विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 890,891 वाके ग्राम चक जोधपुरा हाल सुरपुरा तहसील उदयपुरवाटी के हाल खसरा नम्बर 573,574,575 में क्रय शुद्वा भूमि हिस्सा 1/2 रकबा 0.72 हैक्टेयर में बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें।

डिक्री आज दिनांक 06.08.21 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
मोहर

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प कोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

हस्ताक्षर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
मोहर